न्यायालय ... लक्टर (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन ... ी समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राज ... ख्या :– 164 / 2011

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडमेर।		... राम 2 पुरखाराम 3 जोराराम पिसरान मोडाराम ... पत्नी पुरखाराम 5 कुम्भाराम पुत्र श्रीराम 6 मोहनलाल पुत्र वीरमाराम 7 सोनाराम पुत्र मोडाराम 8 शान्तिदेवी पत्नी मोहनलाल 9 जवाराराम 10 पुरखाराम 11 विशनाराम 12 प्रभूराम पिसरान पदमाराम 13 राणाराम पुत्र दुदाराम 14 मेगाराम पुत्र गोरधनराम 15 पुरखाराम पुत्र पदमाराम 16 कमल पुत्र कैलाशलाल माथुर 16 पनाराम पुत्र बांकाराम 17 सता चौहान पुत्र महेन्दसिंह नरूका 18 अनुदेवी पत्नी पनाराम 19 जया पुत्री जानसिंह चौधरी की वली जानसिंह पुत्र धूड़ाराम निवासी बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 177 RTA Act.

उपस्थिति :– 1 पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 07.12.22

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बाडमेर शहर पटवार हल्का बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2447 / 1150 रकबा 04.01 बीघा भूमि राजस्व अभिलेख के अनुसार अप्रार्थीगण के नाम से खातेदारी में अंकित है। प्रार्थी उक्त भूमि का भूमिपति है। अप्रार्थी संख्या 01 से 19 ने उक्त खातेदारी भूमि को का बेचान अप्रार्थी संख्या 02 से 20 को कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ आवासीय उपयोग करने हेतु बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये कर अवैध कॉलोनी काटने के पश्चात किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर भूमि कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के विपरित है। लिहाजा मौजा बाडमेर शहर पटवार हल्का बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2447 / 1150 रकबा 04.01 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त करते हुए भूमि का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द करावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। लिहाजा अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने व पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त जवाब बन्द किया जाता है।

प्रकरण में तहसीलदार बाडमेर से वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत की। प्रार्थी ने निवेदन किया कि वर्तमान में मौजा बाडमेर शहर पटवार हल्का बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2447 / 1150 रकबा 04.01 बीघा भूमि का भू–सपंरिवर्तन की कार्रवाई किये बिना अवैध रूप से ... कर कृषि से भिन्न आवासीय रूप में अकृषि के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2022.01.20 14:18:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की बहस सुनी गई। ... सरकार द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों ... ते हुए निवेदन किया कि मौजा बाडमेर शहर पटवार हल्का बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2447 / 1150 रकबा 04.01 बीघा भूमि राजस्व अभिलेख के अनुसार अप्रार्थीगण के नाम से खातेदारी में अंकित है। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि का भू–सपंरिवर्तन की कार्रवाई किये बिना अवैध रूप से प्लॉट काट कर अकृषि के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 में वर्णित

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

प्रावधानों के विपरित है। लिहाजा मौजा बाडमेर शह[redacted]ा बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2447/1150 [redacted]ोघा भूमि में अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त करते हुए भूमि का [redacted] सुपुर्द कराने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं उसके संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन तथा वर्तमान राजस्व जमाबन्दी से न्यायालय को इस बात की संतुष्टी है कि मौजा बाडमेर शहर पटवार हल्का बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2447/1150 रकबा 04.01 बीघा भूमि में आयुक्त नगर परिषद् बाडमेर की खातेदारी में भी अंकित है तथा भूमि का छोटे–छोटे टूकड़ों में बेचान किया गया है। भूमि का भू–सपंरिवर्तन की कार्रवाई किये बिना अवैध रूप से आवासिय उपयोग किया जा रहा है, जो विधि सम्मत नही है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत मौजा बाडमेर शहर पटवार हल्का बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2447/1150 रकबा 04.01 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर राज्य सरकार में निहित की जाती है। तहसीलदार बाडमेर उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने की कार्रवाई करें। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 07.12.22 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.01.20 14:18:22 IST
Reason: SelfAttested